फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला रा

प्रकरण संख्या .... शीर्षक .... बनाम ....

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	18/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी संख्या 01902 को पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 212 अस्थायी संख्या 01902 को स्वीकार किया जाकर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मडारिया के खाता संख्या 351 खसरा संख्या 953 रकबा 0.2800 हेक्टेयर, खाता संख्या 351 खसरा संख्या 954, 955 रकबा 0.5000 हेक्टेयर, खाता संख्या 189 खसरा संख्या 956, 957, 958 रकबा 0.5000 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.2800 हेक्टेयर भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक वर्तमान रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। पत्रावली जैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। मूल पत्रावली के साथ संलग्न की जावे। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द